न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 23.08.2022

अपील संख्या 2022/142

उनवान

1– दयाराम पुत्र श्री रूग्गा, जाति मेघवाल, निवासी डग, तहसील डग, जिला झालावाड़
2– नारायण पुत्र श्री रूग्गा, जाति मेघवाल, निवासी डग, तहसील डग, जिला झालावाड़
.... अपीलांट

बनाम

1– ग्राम पंचायत डग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डग, पंचायत समिति डग, तहसील डग, जिला झालावाड़
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डग, जिला झालावाड़
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30.10.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 2020/00096/वादपत्र निर्णय दिनांक 03.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 रूल 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि ग्राम डग पटवार क्षेत्र डग, तहसील डग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1135/3 रकबा 0.4426 हेक्टर के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में इस भूमि को वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। जमाबंदी संख्या 1349 ग्राम डग सम्वत 2076–2079 की छाया प्रति सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2022 से वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया तथा खसरा नम्बर 1135/1 रकबा 0.02 बीघा आराजी खाता सरकार को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में लिये जाने के निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र वादीगण खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1135/03 की 1 बीघा 15 बिस्वा (0.4426 हेक्टर) आराजी के खातेदार व काबिज हैं एवं अपनी आराजी पर खम्भे लगा कर तार की बाउण्ड्रीवाल कर रखी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को भी है परन्तु रेस्पोडेन्ट्स अवैधानिक पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को उसके खाते व कब्जे आराजी से बेदखल करने को तत्पर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स का प्रथम दृष्टया केस मानते हुए रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। राजस्व रिकॉर्ड में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर–135 की आराजी के कुल 5 भाग हो रहे हैं। अपीलांट के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर–1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी है जो नक्शे में अंकित हो रही है। परन्तु तहसीलदार डग की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर–1135/4 रकबा 1 बीघा आराजी जो तहसीलदार डग की रिपोर्ट में दर्शायी गई है उक्त आराजी का उल्लेख नक्शा ट्रेस में नहीं है एवं खसरा नम्बर–1135/1 की खाता सरकार की आराजी भी अलग से दर्शायी गई है। खसरा नम्बर–1135/4 की आराजी का जो ग्राम पंचायत की बतायी गई है, का नक्शा ट्रेस में कोई उल्लेख नहीं है, यही विवाद कारण है और इसीलिए ग्राम पंचायत अपीलान्ट्स के खाते की आराजी अपनी बता कर पट्टा काटना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। ग्राम पंचायत की आराजी खसरा नम्बर–1135/4 का उल्लेख नक्शा ट्रेस में न होने के कारण इस नम्बर पर पट्टा जारी करने से पहले आराजी का नक्शा ट्रेस में अंकन कराना चाहिए जब तक नक्शे में ग्राम पंचायत की आराजी को दर्शाया नहीं जाता तब तक ग्राम पंचायत की उक्त आराजी पर अपीलन्ट्स को बिना आधार के अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। तहसीलदार डग की रिपोर्ट एकतरफा है। जिसमें खसरा नम्बर–1135/4 पर व 1135/1 पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण दर्शाया है जबकि ग्राम पंचायत की आराजी खसरा नम्बर–1135/4 का अंकन नक्शे में ही नहीं है तो अपीलान्ट्स को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट्स अपने खाते हिस्से की आराजी पर काबिज है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी के पट्टे जारी कर दिए तो पट्टेधारी किस भूमि पर कब्जा प्राप्त करेंगे और ग्राम पंचायत अनावश्यक रूप से अपीलान्ट्स के खाते व कब्जे की आराजी को अपनी बता कर पट्टा काटना चाहती है जो अवैधानिक है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध राजनैतिक द्वेषता से कार्यवाही की जा रही है। अवैधानिक, एकतरफा एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत तैयार की गई तहसील की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी मानते हुऐ अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो अवैधानिक है।

4 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.2022 निरस्त फरमाया जाये एवं अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट कम–1 के विरुद्ध ता– फैसला मूल बाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह अपीलान्ट्स को उसके खाते व कब्जे की खसरा नम्बर–1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा (0.4426 हेक्टर) आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें एवं अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें।

5 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ट को ग्राम डग की खसरा नम्बर 1135/03 की 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी नियमानुसार आवंटन की गई थी, एवं नियमानुसार गैरखातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वर्तमान में अपीलान्ट उक्त आराजी का खातेदार व काबिज है और अपनी आराजी पर बाहर के खम्बे की बाउण्ड्रीवाल कर रखी है रेस्पोडेन्ट जबरन अपीलान्ट को अपने कब्जे की आराजी से करीब 80 फीट तक हटाने को तत्पर है। इसलिये अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उसके खाते व कब्जे की आराजी से प्रतिपक्षी/रेस्पोडेन्ट बेदखल नहीं करे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र तहसीलदार डग की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2022 से खारिज कर दिया गया, इसलिये अपील प्रस्तुत की गई है।

7 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है कि अपीलान्ट 1135/03 की 1 बीघा 15 बिस्वा (0.4426 हेक्टर) का खातेदार काबिज है एवं अपनी आराजी पर खम्बे लगाकर तार की बाउण्ड्रीवाल कर रखी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भी है। इस प्रकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट विवादित आराजी पर खातेदार एवं काबिज होने से अपीलान्ट के हक में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना चाहिये था।

8 राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 135 के 5 भाग हो रहे है अपीलान्ट के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी है जो नक्शे में अंकित हो रही है। परन्तु तहसीलदार डग की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1135/4 की रकबा 1 बीघा आराजी जो तहसीलदार डग की रिपोर्ट में दर्शायी गई है उक्त आराजी का उल्लेख नक्शा ट्रेस में नही है एवं खसरा नम्बर 1135/1 की खाता सरकार की आराजी भी अलग से दर्शायी गई है खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी जो ग्राम पंचायत की बताई गयी है। का नक्शा ट्रेस में कोई उल्लेख नहीं है यही विवाद का कारण है। इसलिये ग्राम पंचायत अपीलान्ट के खाते की आराजी अपनी बताकर पट्टा काटना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई उचित गौर नही फरमाया।

9 तहसीलदार डग की रिपोर्ट एक तरफा है जिसमें खसरा नम्बर 1135/4 पर वह 1135/1 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण दर्शाया है जबकि आराजी अपीलान्ट के पास भी नहीं है और न ही नक्शे में अंकित है। अपीलान्ट अपने खाते व हिस्से की आराजी पर काबिज है कि ग्राम पंचायत अवैधानिक रूप से पट्टे काटकर अपीलान्ट के खाते की 1135/03 की आराजी पर विवाद करना चाहती है जो अवैधानिक है। अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को उसके खाते व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता।

10 अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है काफी मेहनत करके आराजी काबिल काश्त बनाई, अपीलान्ट की आराजी नक्शे में रोड़ की तरफ है प्रभावित व्यक्तियों के दबाव में आकर पंचायत अवैधानिक कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखल करना चाहती है एवं नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर गलत तरीके से सड़क की तरफ पट्टेधारियों को उनका कब्जा करवाना चाहती है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि अवैधानिक पट्टेधारियों ने अपीलांट की आराजी की सड़क की तरफ जबरन कब्जा कर लिया गया तो अपीलांट को अपारक्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है।

11 यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया है एवं साथ में यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी खाते की भूमि 1335/1 सार्वजनिक रास्ते में उपयोग में ली जायेगी। जबकि प्रार्थना पत्र में इस तरह का निर्देश देने का अधीनस्थ न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है। सम्पूर्ण रकबे की पैमाईश के लिये तहसीलदार स्तर पर समिति गठित की जाकर नियमानुसार पेमाईश करने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है।

12 अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.08.2022 निरस्त किया जाकर विवादित मामले में खसरा नम्बर 1135 के मूल सम्पूर्ण रकबे की तहसील स्तर पर समिति गठित कर पैमाईश करवाये उसके बाद पुनः नियमानुसार प्रकरण में समुचित निर्णय पारित करे।

13 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान पंचाती राज अधिनियम सेक्शन 109 पेज 68–69, आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (1) पेज 844 से 848, आर.आर.डी. 2016 पेज 1 से 11 व आर.आर.डी. 2016 (एच.सी.) पेज 135 से 138 की न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

14 हमने बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व वादी अपीलांट दवारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन व विश्लेषण किया गया। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार डग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1135/4 रकबा 1–00 बीघा ग्राम पंचायत डग की आराजी पर 1/3 कालीबाई व 1/3 दयाराम व नारायणलाल पिता रूग्गा मेघवाल वादी अपीलांट का कब्जा व अतिक्रमण मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.08.2022 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है। मुताबिक मौका रिपोर्ट वादी दयाराम व नारायण का अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1135/3 रकबा 1–15 बीघा के साथ साथ आराजी खसरा नं. 1335/4 रकबा 1.00 बीघा ग्राम पंचायत की भूमि पर कालीबाई पुत्री उदा मेघवाल खातेदार खसरा नं. 1135/2 रकबा 1–15 बीघा के साथ कब्जा होना अंकित है। वादी अपीलांट के खाते की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जे की स्थिति में वादी अपीलांट धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है।

15 वादी अपीलांट द्वारा अपील के चरण नम्बर 3 व लिखित, बहस में यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 1135 की आराजी के 5 भाग हो रहे हैं। इसमें से खसरा नं. 1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी अपीलांट के खाते व कब्जे में है जो नक्शे में अंकित हो रही है परंतु खसरा नम्बर 1135/4 रकबा 1 बीघा आराजी जो तहसीलदार डग की रिपोर्ट में दर्शायी गई है उक्त आराजी नक्शा ट्रेस में नहीं है एवं खसरा नं. 1135/1 की खाता सरकार की आराजी भी अलग से दर्शायी गई है। खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी का जो ग्राम पंचायत की बताई गई है, का नक्शा ट्रेस में कोई उल्लेख नहीं है यही विवाद का कारण है परंतु अपीलांट ने अपील के साथ तहसील से जारी नक्शा ट्रेस की कोई प्रमाणित प्रति अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 1135/2 की ऑनलाईन की खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपी) दिनांक 05/11/2020 की प्रस्तुत की है जिस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है। साथ ही इस पर यह नोट भी अंकित है कि यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय में सम्पर्क करें । साथ ही प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि) खसरा नम्बर 1135/2 की होने से इस खसरा नम्बर 1135/4 के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। वादी अपीलांट का अपने खाते की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा पाया जाने व अपील में अंकित अपने कथनों की पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

16 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

17 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा